5 रु. COURT FEE भारत पाँच रुपये — Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

(44)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2015 अवमानना विविध 2398-II-15

1. मुस. कुन्ती सिंह विधवा पत्नी स्व. रजपाल सिह गौड
2. उदय नारायण सिंह पुत्र स्व. रजपाल सिंह गौड
3. राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री स्व. रजपाल सिंह गौड

निवासीगण ग्राम कटई निगरानी तहसील व थाना सरई जिला सिंगरौली म.प्र.

......आवेदकगण

बनाम

1. धर्मेन्द्र कुमार जैन अपर कलेक्टर / भूअर्जन अधिकारी सिंगरौली जिला सिंगरौली म.प्र.
2. चन्द्रवती सिंह पत्नी करन सिंह गौड निवासी ग्राम बेलगांव पो. निगरी तहसील सरई जिला सिंगरौली
3. तेरसिया गौड पत्नी श्री राम सिह गौड निवासी ग्राम वकवा तहसील मझौली जिला सीधी म.प्र.
4. जगतवती पत्नी श्री विश्वनाथ सिंह गौड निवासी ग्राम दियाडोल पोस्ट निगरी तहसील सरई जिला सिंगरौली
5. मुन्नी उर्फ प्रेमवती गौड पत्नी प्रकाश सिंह गौड निवासी ग्राम दियाडोल तहसील सरई जिला सिंगरौली
6. सावित्री गौड माता स्व. रिचवुदिया गौड पिता स्व. ललन सिंह गौड पत्नी लाल बहादुर गौड निवासी ग्राम वकवा तहसील मझौली जिला सीधी
7. प्रबंध संचालक जे.पी. पावर बेन्चर्स (बैराज निर्माण) निगरी तहसील सरई जिला सिंगरौली म.प्र.

.... अनावेदकगण / कन्टेमनर्स

R.S. Sengar
आर. एस. सेंगर
एडवोकेट
ग्वालियर
28-7-15

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 अवमानना अधिनियम सहपठित धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता निगरानी प्रकरण क्रमांक 870/ 11 / 15 उनमान मु. कुन्ती सिंह आदि वि. चन्द्रवती सिंह आदि मे पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.04.2015 के उल्लघंन के संबंध में

महोदय,

आवेदकगण की ओर से अवमानना आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदिका क्रमांक 1 के पति आवेदक क्रमांक 2 व 3 के पिता रजपाल सिंह निवासी ग्राम कटई पटवारी हल्का कटई तहसील सरई जिला सिंगरौली में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 48, 151, 155, 157 कुल रकवा 3.5 हेक्टर के भूमि स्वामी थे। म.प्र. शासन द्वारा जे.पी. पावर वैन्चर्ज हेतु भूमि का अधिग्रहण प्रकरण क्रमांक 77/ अ-82/ 2011-12 में किया गया था। जिसका बाजारू मूल्य के आधार पर दिनांक 27.07. 2012 को रूपये 77,420,86/- रूपये (सतहत्तर लाख बयालीस हजार छियासी रूपये) का चैक भूमि स्वामी रजपाल सिंह के नाम जारी किया गया । रजपाल सिंह की दिनांक 13.04.2014 को मृत्यु हो जाने के कारण विवादित आराजियों पर आवेदकगण का नामान्तरण किया गया।
2. यहकि, अधिग्रहित भूमियों के बाबत जारी चैक राशि 77,420,86/- रूपये (सतहत्तर लाख बयालीस हजार छियासी रूपये) बाबत वारिसान आवेदक कुन्ती सिंह पत्नी रजपाल सिंह , उदय नारायण सिंह , राजेन्द्र कुमार सिंह पुत्रगण रजपाल सिंह के नाम अंकित चैक की राशि प्राप्त होनी थी इसी दौरान अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 6 द्वारा आपत्ति वारिसाना होने के आधार पर की गई जिसका विरोध आवेदकगण द्वारा किया गया कि हिन्दू उत्तराकिर संशोधन अधिनियम 2005 की संशोधित धारा6 के तहत अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) गौड जनजाति में विवाहित एवं अविवाहित लडकियो का पिता की चल सम्पत्ति में किसी प्रकार के स्वत्व का अंतरण नही होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

XXXIX(a)-BR(H)-11

जुन्नी / धरेन्द्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. नि. 2398-तीन/15 जिला सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-10-17	आवेदक की ओर से श्री आर. एस. बैनर्जी, अधि. द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जावे। प्रकरण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल दफ्तर हो। सदस्य	Not Press 6/10/17

[कृ. प. उ.